(105)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4350–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 43/अपील/2007–08.

.....

श्री उदल आत्मज श्री मौजीलाल
निवासी मोहगांव पोस्ट खंडारा (किला)
तहसील व जिला बैतूल

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्री इंदल आत्मज मौजीलाल
निवासी खेडली पोस्ट खंडारा तहसील व जिला बैतूल
2–श्री देवीराम (देवराम) आत्मज श्री मौजीलाल कुन्बी
निवासी खानापुर पोस्ट कनोजिया तहसील आमला
जिला बैतूल
3–देवकी जोजे श्री बाबूलाल
निवासी छावल पोस्ट खापा खतेडा
तहसील आमला जिला बैतूल

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश गंगारे, अभिभाषक– आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार आमला के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम थानकुर तहसील आमला स्थित भूमि सर्वे कमांक 13,

16

108, 114, 140, 142, 149, 223/1, 223/3, 31, 33 एवं 14 के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–9–2006 से बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–8–2007 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–10–12 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा बटवारे हेतु स्थापित विधि एवं मिताक्षरी विधि की प्रथा के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 164 की मंशा की उपेक्षा करते हुये आदेश पारित किया गया है ।

(3) उभयपक्ष 3 भाई और एक बहन है ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति में से 1/4 हिस्सा आवेदक को दिया गया है जो कि उचित नहीं हैं क्योंकि बटवारा नियम 4 के अनुसार कुल 12 खाते हैं इन प्रत्येक खातों में बटवारे की औपचारिकता पूर्ण करने के लिये सभी खातों में आवेदक को नाम के लिये अंश बटवारे में दे दिया गया है इससे 12 छोटे–2 टुकड़ों पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं है ।

(4) अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश का पद 5 कपोत कल्पित है यह निर्विवादित है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 17 जून 1956 को प्रवृत हुआ और वर्ष 2005 के संशोधित अधिनियम के मध्य वर्ष 2000 में उभयपक्षों के पिता की मृत्यु हुई जिसे सन् 1956 में मृत्यु एवं आदिवासी परंपरा को आदेश में सम्मिलित करना ऐसा कोई आधार एवं तर्क पुनरीक्षणकर्ता का नहीं रहा प्रकरण के तथ्यों से

परे जाकर तकनीकी आधार पर न्यायदान से बंचित करने का अपर आयुक्त का आदेश दूषित है ।

तर्क के समर्थन में 1980 आरएन 291, 1991 आरएन 8 एवं 1977 आरएन 291 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखों में वर्णित स्वत्व के अनुसार ही भूमि का विभाजन किया गया है यदि आवेदक को आपत्ति थी कि मॉ के नाम दर्ज भूमि पर प्रचलित आदिवासी परम्परा के अनुसार पुत्री का नामान्तरण नहीं होगा, तो इस बिन्दु पर नामान्तरण के समय ही आवेदक को आपत्ति दर्ज करनी थी । भूमि के बटवारे के समय की गई आपत्ति से न तो नामान्तरण निरस्त किया जा सकता है और न ही स्वत्व के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है । तहसील न्यायालय द्वारा सभी वारिसानों को समान हिस्सा दिया गया है, इसलिये आवेदक द्वारा की जा रही मॉग आधारहीन है, क्योंकि आवेदक द्वारा मॉग के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः तहसील न्यायालय के न्यायसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त न्यायालय को वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर